राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency

आदेश सं०:SHSB/GA/HR/3172/2018/..............   पटना, **दिनांकः** ..../06/2019

-: आदेश :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत Certificate Course for Community Health के लिए Ayurveda Practitioner एवं GNM के अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त उक्त कोर्स में नामांकन लिया गया। इनमें से 06 नये अभ्यर्थियों ने उक्त Certificate Course में IGNOU द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली गयी है। उक्त उत्तीर्ण 06 अभ्यर्थियों को Community Health Officer (CHO) के रूप में विज्ञापित ToR में निर्धारित मानदेय (₹25,000 – 40,000) प्रतिमाह पर निम्नानुसार विहित शर्तों के तहत उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित जिला के जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन पदस्थापित किया जाता है:-

Sl. No	Enrolment No. (IGNOU)	Name	Date of Birth	Ayurveda Practitioner/GNM	District where S/he is being posted as CHO
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	183783173	VED PRAKASH SAHANI	05.12.1985	Ayurveda Practitioner	East Champaran
2.	183781327	MADHAVI KUMARI	15.02.1989	Ayurveda Practitioner	Rohtas (Sasaram)
3.	189790089	PRIYA KUMARI	15.10.1993	GNM	Patna
4.	189790057	RIYA KUMARI	27.08.1991	GNM	Patna
5.	189790064	RINKI KUMARI	07.04.1993	GNM	Begurarai
6.	189790040	RINKU KUMARI	23.01.1992	GNM	Katihar

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:-

i. **दिनांक 15/07/2019 तक** उपरोक्त अभ्यर्थी अपने नाम के सामने स्तंभ-6 में अंकित जिला के जिला स्वास्थ्य समिति में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।

ii. योगदान के पश्चात् एकरारनामा करने के लिए 1,000/- रुपये का Non Judicial स्टाम्प पेपर, NOC (जो लागू हो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं **दिनांक 22/07/2019 तक**, सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष उपस्थित होंगे, ताकि जिला स्तर पर पदस्थापित जिला स्वास्थ्य समिति के साथ उनका एकरारनामा सम्पन्न हो सके।

iii. पूर्व से सरकारी सेवा या किसी अन्य संस्थान अथवा अनुबंध पर नियोजित एवं कार्यरत हैं, तो उन्हें योगदान के समय नियोजित संस्था/संस्थान के सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।

iv. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 03 (तीन) वर्ष तक या पदों की स्वीकृति, राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया जा सकेगा।

v. चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

vi. आवंटित जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

vii. सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014
दूरभाषः 0612-2290328, 2281232 फैक्सः 2290322 Website: www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

viii. उपरोक्त का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

ix. सभी नवनियोजित अभ्यर्थियों को निर्धारित एकमुश्त मानदेय/प्रतिमाह का भुगतान FMR code-8.1.12.1 & 8.1.12.2 के तहत संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति/स्वास्थ्य संस्थान से किया जाएगा।

3. संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक 8012 दिनांक 16.02.2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के योगदान के तुरत बाद उन्हें विकसित H&WC में पदस्थापित करेंगे। यदि तत्काल H&WC विकसित नहीं हो, तब तक APHC में इस शर्त के साथ पदस्थापित करेंगे कि ज्योंहि H&WC विकसित हो जाएगा, तब उन्हें तत्काल H&WC में पदस्थापित कर दिया जायेगा। उक्त अनुपालन की सूचना अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-
(मनोज कुमार)

ज्ञापांक : 2121 *पटना, दिनांक:* 29 */06/2019*

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, स्वास्थ्य-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रशासी पदाधिकारी/सभी उप सचिव/अपर निदेशक (वित्त)/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (H&WC) एवं (AYUSH), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

29/6/19

कार्यपालक निदेशक